

घ. पूर्व सेनानी कल्याण विभाग

(D. DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE)

1. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिकों (पूर्व सेनानियों), जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं, से संबंधित मामले ।
2. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिक (पूर्व सेनानी) अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम ।
3. पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले ।
4. निम्नलिखित का प्रशासन-
 - (क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);
 - (ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II);
 - (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
 - (घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982 ।